

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)

आदेश पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
65/17	188 R-12	नगडा	बारां
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
लक्ष्मी नारायण	बनाम	राधराज	

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक **कार्यवाही एवं आदेश** विविध संदर्भ

27/17
 वकील व.दी. द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 188 R-12
 विरुद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में पेश किया
 रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण दर्ज
 रजिस्टर कर कार्य प्रारंभ किया प्रतिवादी को पेश हो।
 तलब कर प्रकल्प दिनांक 9/8/17 को पेश हो।

11/17
 अग्र पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में
 व्यस्त होने के कारण प्रकल्प की पूर्ववत स्थिति में
 दिनांक 17-10-17 को पेश हो।
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारां)

17/17
 अग्र पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में
 व्यस्त होने के कारण प्रकल्प की पूर्ववत स्थिति में
 दिनांक 4-12-17 को पेश हो।

12/17
 वकील व.दी उपो-प्रतिवादी राधराज को पेश हो कर राधराज को
 पेश हो कर वकील व.दी को पेश हो गया है, वरन्
 अवकाश निपत दिनांक 18/12/17 को पेश हो।

18/17
 अग्र पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण प्रकल्प की पूर्ववत स्थिति में
 दिनांक 22-1-18 को पेश हो। अग्र पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण प्रकल्प की पूर्ववत स्थिति में
 दिनांक 19-2-18 को पेश हो।

2/17
 अग्र पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण प्रकल्प की पूर्ववत स्थिति में
 दिनांक 12-3-18 को पेश हो। अग्र पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण प्रकल्प की पूर्ववत स्थिति में
 दिनांक 9-4-18 को पेश हो।

9/4/18
 वकील व.दी व.दी को पेश हो कर राधराज को पेश हो गया है, वरन्
 अवकाश निपत दिनांक 21/5/18 को पेश हो।

राधराज को पेश हो

राधराज को पेश हो

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक

8/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राची अनुपस्थित। तीनवार
श्रावण लगाकर गई। कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण अदम
श्रावणी अदम पेशकी खारिज किया जाता है। पत्रावली
मिसल शुमार होकर नारिकल दफ्तर हो। &

[Faint, mostly illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]